उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

28 अगस्त, 2004 ई0

उत्तरांचल उप–निबन्धक सेवा नियमावली, 2004

सं0 1061/वि0अनु–5/व्या0कर/2004–भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश उप–निबन्धक सेवा नियमावली, 1983 को निरसित करते हुए तथा इस विषय पर किन्हीं अन्य नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल उप–निबन्धक सेवा में भर्ती और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

भाग एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–(1) यह नियमावली "उत्तरांचल उप–निबन्धक सेवा नियमावली, 2004" कहलाएगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–उत्तरांचल उप–निबन्धक सेवा एक राजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह–ख के पद समाविष्ट हैं।

3–परिभाषायें–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) से है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तरांचल से है;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग से है;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ज) "महानिरीक्षक" का तात्पर्य रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, उत्तरांचल से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ञ) "सेवा का तात्पर्य" उत्तरांचल उप–निबन्धक सेवा से है;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय–विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग–(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–(1) सेवा की साधारण श्रेणी में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) सीधी भर्ती, आयोग के माध्यम से–65 प्रतिशत,

(ख) पदोन्नति के माध्यम से–विभाग में कार्यरत स्थायी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 25 प्रतिशत, जिनकी इस रूप में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण हो चुकी हों, परन्तु विभाग में कार्यरत मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदोन्नतियां की जायेंगी जो उल्लिखित अर्हकारी सेवा के साथ विधि स्नातक की योग्यता भी रखते हों :

परन्तु, यह और कि पदोन्नति इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव पदोन्नत व्यक्तियो की कुल संख्या किसी समय संवर्ग की सदस्य संख्या के 35 प्रतिशत से अधिक न हो:

टिप्पणी–पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें उच्च वेतनमान के व्यक्तियों के नाम, उनकी ज्येष्ठता–क्रम में रखे जायेंगे, उसके पश्चात् अगले निम्न वेतनमान के व्यक्तियों के नाम, उनकी ज्येष्ठता–क्रम में रखें जायेंगे और यदि वेतनमान बराबर–बराबर हों, तो उनके नाम उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर रखे जायेंगे ताकि उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बनी रहे।

6–आरक्षण–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हतायें

7–राष्ट्रिकता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल के ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु, यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8–शैक्षिक अर्हतायें–उप–निबन्धक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

9–अधिमानी अर्हतायें–अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10–आयु–सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाये, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में, विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष का हो जानी चाहिये और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की स्थिति में, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, उच्चतर आयु सीमा, उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11–चरित्र–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए सेवा में ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु, राज्यपाल महोदय किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13–शारीरिक स्वस्थता–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो, जिनसे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप में अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाये :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी की स्थिति में चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

भाग पांच–भर्ती प्रक्रिया

14–रिक्तियों का अवधारण–नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया–(1) सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे, जिसे आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो।

(3) आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीकरण करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, नियमानुसार निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसको प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने ही अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा, जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या के अनुसार होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जो आयोग द्वारा समय–समय पर सरकार के अनुमोदन से उच्च अधीनस्थ सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विहित किये जायें और प्रतियोगिता परीक्षा उच्च अधीनस्थ सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के साथ आयोजित की जा सकती है।

16–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–उप–निबन्धक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथा उत्तरांचल में लागू) के अनुसार की जायेगी।

17–सीधी भर्ती वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए विहित संयुक्त चयन सूची–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी। जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि सीधी भर्ती वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों का विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग छः –नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18–नियुक्ति–(1) उप–नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी, जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग से जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये, विद्यमान ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें, तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, अधिक नहीं चलेंगी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 (यथा उत्तरांचल में लागू) के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होंगे।

(5) उत्तरांचल लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों को, नियुक्त कर दिये जाने के पश्चात् किसी पद का स्वतन्त्र भार सौंपने के पूर्व, किसी पद का उपयुक्त केन्द्र पर कम से कम छः सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यदि अभ्यर्थी नियमों और विनियमों का कार्य–साधक ज्ञान न प्राप्त कर सके तो प्रशिक्षण की अवधि छः सप्ताह के लिए और बढ़ायी जा सकती है। परिवीक्षाधीन उप–निबन्धकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तरांचल के विभागीय परीक्षा के संचालन और कनिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार प्रति वर्ष आयोजित की जायेगी।

19–परिवीक्षा–(1) उप–निबन्धक की मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रकार प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20–स्थायीकरण–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाये,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

21–ज्येष्ठता–(1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये, तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु, यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये व्यक्तियों की नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर युक्ति–युक्त कारणों से वह कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तयुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता नियम 5 की टिप्पणी में दिये गये उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन इत्यादि

22–वेतनमान–(1) सेवा में चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार है:–

वेतनमान

रुपया 6500–200–10,500।

23–परिवीक्षा अवधि में वेतन–(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमांन में उसको प्रथम वेतन–वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहां विहित हो, प्राप्त कर लिया हो तथा द्वितीय वेतन–वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु, यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

24–पक्ष समर्थन–सेवा में किसी पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति से अनर्ह कर देगा।

25–अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

26–सेवा शर्तों में शिथिलता–यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उनको शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

27–व्यावृत्ति–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–1

उत्तरांचल उप–निबन्धक सेवा नियमावली, 2004

(कृपया नियम संख्या 4(1), (2) देखिये)

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	उप–निबन्धक	33	–	33

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 25–09–2004, भाग–1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 वित्त/423–04–10–2004–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।